

प्रेस विज्ञप्ति:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-3 सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/-रूपये के अर्थदण्ड की सुनाई सजा :-

अवगत कराना है कि दिनांक 28.06.2010 को वादी श्री अजब सिंह पुत्र सुबेराम नि० ग्राम छापुर थाना सरसावा स०पुर, की पुत्री पिकी को अभियुक्तगण 1-श्रीमती ओमवती पत्नी कालूराम 2-कालूराम पुत्र करताराम नि०गण नीरपालपुर उर्फ डूमवाला थाना चिलकाना के द्वारा दहेज की मांग करना व पूरी न होने पर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या कर देने की लिखित सूचना के आधार पर थाना चिलकाना स०पुर, मु०अ०स० 160/2010 धारा 498ए,304बी 34 भादवि व 4 दहेज अधि० में पंजीकृत कराया था। उक्त अभियोग एसटी न० 557/2010 में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-3 स०पुर में विचाराधीन था।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में कोर्ट पैरोकार चिलकाना की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के कारण माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-3 स०पुर द्वारा आज दिनांक 09.09.21 को अभियुक्तगण 1-श्रीमती ओमवती पत्नी कालूराम 2-कालूराम पुत्र करताराम को मु०अ०स० 160/2010 धारा 498ए,304बी 34 भादवि व 4 दहेज अधि० में दोषी पाते हुए 07 वर्ष का संश्रम कारावास 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट

आज दिनांक 09.09.2021 को पुलिस लाईन में महिला परिवार परामर्श केन्द्र में विवादित परिवारों की काउंसलिंग करने के लिये महिला परिवार परामर्श केन्द्र से प्रभारी निरीक्षक कल्पना त्यागी, महिला आरक्षी 68 मीनू, महिला आरक्षी 857 पायल, महिला आरक्षी 1413 रीटा राणा, महिला आरक्षी 170 प्रतीक्षा की उपस्थिति में कान्उसलर श्रीमति सुरभी सिंह, श्रीमति अनुपमा महाजन, कुलभूषण जैन, प्रेमनाथ छोकर के द्वारा काउंसलिंग कराई गयी।

परिवार परामर्श केन्द्र में कुल 15 प्रकरणों में दोनों पक्षों को नोटिस देकर काउंसलिंग के लिये बुलाया गया। जिसमें 11 प्रकरणों में दोनों पक्ष उपस्थित आये व 4 प्रकरणों में दोनों पक्षों में से कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुये। जिनकी काउंसलिंग करने के बाद काउन्सलरों द्वारा 02 पक्षों में समझौता कराया गया। जिनका विवरण निम्नप्रकार है।

क्र० सं०	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
1	नगमा पुत्री इरफान नि० पुल खुमरान मौ० छिपियान थाना को०नगर सहारनपुर 7452051379	मतीन पुत्र स्व मौ० बशीर नि० ढोलीखाल थाना कृतुबशेर सहारनपुर 9917050770
2	पारूल पुत्री सतीश नि० मौ० विल्स कालोनी गली नं० 2 गलीरा रोड सदर बाजार, सहारनपुर 9759430454	गौरव पुत्र महेन्द्र सिंह नि० मौ० विल्स कालोनी गली नं० 2 गलीरा रोड सदर बाजार, सहारनपुर 9870612536



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य थाना सदर बाजार पुलिस

अवैध मादक पदार्थ के अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार व मादक पदार्थ बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर के निर्देशानुसार जनपद में चलाये जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर एवम क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार के नेतृत्व में गठित टीम व सर्विलांस टीम द्वारा संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 09.09.2021 को ITC लोडिंग गेट के पास से जाने वाले रास्ते पर मकखन कालोनी के सामने मोड दो तस्करो को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से पर 200 ग्राम चरस (कीमत लगभग 200000 रुपये) बरामद करने में सफलता प्राप्त की गयी।। गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण नशीले पदार्थ को खरीदने बेचने के अभ्यस्त अपराधी है जो नशीले पदार्थ खरीदकर उन्हे ऊंची कीमत पर जनपद व जनपद से बाहर गांव देहात में बेचकर धन कमाते है। इनके पूर्व के अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम पता

1. मगता पुत्र तासीन निवासी बढेडी राजपूतान थाना बाहदराबाद जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड
2. अहसान पुत्र चांदु निवास बढेडी राजपूतान थाना बाहदराबाद जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड

बरामद सामान सम्बन्धित मु0 अ0 सं0 412/21 व 413/21 धारा 8/21 एनडीपीसीड एक्ट. का विवरण

अभियुक्त मंगता उपरोक्त के कब्जे से 100 ग्राम स्मैक

अभियुक्त अहसान उपरोक्त के कब्जे से 100 ग्राम स्मैक

अभियुक्तगण का अपराधिक इतिहास

- मगता पुत्र तासीन निवासी बढेडी राजपूतान थाना बाहदराबाद जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड
 1. मु0 अ0 सं0 412/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट।
- अहसान पुत्र चांदु निवास बढेडी राजपूतान थाना बाहदराबाद जनपद हरिद्वार उत्तराखण्ड
 1. मु0 अ0 सं0 413/21 धारा एनडीपीएस एक्ट।

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. श्री हरेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सदर बाजार
2. उ.नि. श्री के. पी. सिंह थाना सदर बाजार
3. उ.नि. श्री अशोक कुमार थाना सदर बाजार
4. है0का0 516 जाकिर खाँ व का0 944 अंकित
सर्विलांस व अभिसूचना विंग टीम
 1. सर्विलांस प्रभारी उ.नि. अजब सिंह
 2. है0का0 578 सुहैल
 3. का0 866 मोहित कुमार
 4. का0 1014 विनित पवारं
 5. का0 1255 विनित हुड्डा



प्रेस नोट दिनांक 09/09/2021 थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशों के अनुपालन में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नकुड़ महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संदिग्ध व्यक्ति/वांछितो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्री बबलू सिंह वर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना नकुड़ के कुशल नेतृत्व में थाना नकुड़ पुलिस द्वारा आज दिनांक 09/09/2021 को एनडीपीएस एक्ट, आयुध अधि० व सट्टे के अभियुक्तो को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष भेजा गया है।

1. उ०नि० श्री अनिल कुमार मय हमराही है०का० 569 नीरज कुमार व का० 1582 सन्नी राणा मय जिप्सी सरकारी नं० यूपी 11 ऐ जी 0389 मय चालक का० 1369 प्रशान्त कुमार द्वारा 01 नफर अभि० विनीत पुत्र विश्वास नि० मौ० सुजातपुरा कस्बा व थाना नकुड़ जनपद स०पुर को एक कापी MOON NOTEBOOK, एक पैन BUTTERFLOW, एक मोबाईल रंग नीला REALME, दूसरा मोबाईल रंग आसमानी VIVO तथा तीसरा मोबाईल रंग सुनहरा OPPO व कुल 10,340 रुपये के साथ मकान अभि० मौ० सुजातपुरा कस्बा नकुड़ से दिनांक 08/09/21 को समय 20.05 बजे गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 371/2021 धारा 3/4 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया है।
2. उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह मय हमराह का० 1469 इरफान व का० 71 बृजवीर सिंह मय जिप्सी सरकारी नं० यूपी 11 ऐ जी 0311 मय चालक का० 1032 नीटू सिंह द्वारा 01 नफर अभि० इसरार S/O इकबाल R/O ग्राम टिडोली PS नकुड़ स०पुर को 15 ग्राम स्मैक के साथ ग्राम टिडोली तिराहा से करीब 50 कदम की दूरी से दिनांक 08/09/21 को समय 21.30 बजे गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 372/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है।
3. उ०नि० देवेन्द्र सिंह मय हमराह का० 1032 नीटू सिंह मय का० 1138 अरुण पंवार द्वारा एक नफर अभि० शमशाद पुत्र इस्लाम निवासी मौ० गाडान कस्बा व थाना नकुड़ सहारनपुर को एक अदद छुरी नाजायज के साथ सरकारी टंकी ट्यूबवैल कस्बा अंबेहटापीर दिनांक 09/09/21 को समय 09.15 बजे गिरफ्तार किया गया। जिस संबंध में थाना हाजा पर मु०अ०सं० 373/2021 धारा 4/25 आयुध अधि० बनाम शंमशाद पंजीकृत किया गया है।

अभि० का नाम व पता:-

1. अभि० विनीत पुत्र विश्वास नि० मौ० सुजातपुरा कस्बा व थाना नकुड़ जनपद स०पुर
2. अभि० इसरार S/O इकबाल R/O ग्राम टिडोली PS नकुड़ स०पुर
3. अभि० शमशाद पुत्र इस्लाम निवासी मौ० गाडान कस्बा व थाना नकुड़ सहारनपुर

बरामदगी:

15 ग्राम स्मैक ,एक अदद छुरी व एक कापी MOON NOTEBOOK, एक पैन BUTTERFLOW ,एक मोबाईल रंग नीला REALME ,दूसरा मोबाईल रंग आसमानी VIVO तथा तीसरा मोबाईल रंग सुनहरा OPPO व कुल 10, 340रुपये नगद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. प्र०नि० श्री बबलू सिंह वर्मा
2. उ०नि० देवेन्द्र सिंह
3. उ०नि० अनिल कुमार ,
4. है०का 569 0नीरज कुमार 5. का 1582 0सन्नी राणा 6. का 1032 0नीटू सिंह 7. का 1138 0अरुण पंवार 8. का 0 1469इरफान 9. का 71 0बृजवीर सिंह

प्रेस नोट दिनांक 09-09-2021

थाना देवबन्द पुलिस द्वारा सटटे की खाईबाडी करते 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 09-09-2021 को थाना देवबन्द पुलिस द्वारा इस्लामिया इण्टर कॉलिज के पास बने मजार के पीछे से अभि० अय्यूब पुत्र अजीज निवासी मौ० किला थाना देवबन्द, सहारनपुर को 870/रूपये मय पर्चा सटटा सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु०अ०सं० 548/21 धारा 13 जी एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा नाजायज स्मैक सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 09-09-2021 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा रायपुर रोड थाना मिर्जापुर से अभि० वासिफ पुत्र इनाम निवासी डाक्टर वाली गली थाना मिर्जापुर, सहारनपुर को 40 ग्राम नाजायज स्मैक सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु०अ०सं० 206/21 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा नाजायज चरस सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार :-

दिनांक 09-09-2021 को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा दुमझेडा पुल से अभि० मुस्मकीम उर्फ घस्सु पुत्र कमालू निवासी ग्राम दुमझेडा थाना चिलकाना, सहारनपुर को 150 ग्राम नाजायज चरस सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 322/21 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

**मीडिया/सोशल मीडिया सेल
जनपद सहारनपुर।**